न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2024
(GCMS 2024/139)(21224224947 5158)

श्री दीपक गोयल जाति अग्रवाल निवासी 1 बी 7 सुखाड़ियार नगर, नजदीक आदर्श नर्सिंग होम, श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दीपक गोयल स्वयं उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्हानें लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 10.05.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी दीपक गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. श्रीगंगानगर में निजी चिकित्सालय आरम्भ करने के लिए आपके कार्यालय को उच्च अधिकारियों से प्राप्त पत्रों, आदेशों, परिपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
2. श्रीगंगानगर में निजी चिकित्सालय आरम्भ करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, मापदंड, शर्तें आदि के विवरण की प्रति देवें।
3. श्रीगंगानगर में निजी चिकित्सालय आरम्भ करने के लिए चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सों की निर्धारित योग्यताओं की सूची की प्रतिलिपि।
4. श्रीगंगानगर में निजी चिकित्सालय आरम्भ करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने अथवा नहीं करवाने की अनिवार्यता के नियमों की प्रतिलिपि देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / —— / 2024 / 375 दिनांक 15.07.2024 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.05.2024 से चाही गई सूचना का सम्बन्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से होने के कारण उन्होंने अपने पत्रांक 250 दिनांक 15.05.2024 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी को लिखते हुए प्रार्थी को भी सूचित किया गया है।

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ / 2024 / 12470—71 दिनांक 30.07.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री दीपक गोयल, निवासी 1 बी 7 सुखाड़िया नगर, नजदीक आदर्श नर्सिंग होम, श्रीगंगानगर के द्वारा इस कार्यालय के विरूद्ध की गई अपील संख्या 250 / 2024 की सुनवाई दिनांक 31.07.2024 को पैरवी हेतु मूल पत्रावली सहित श्री शुभम भारती वरिष्ठ हाजा कार्यालय को भेजा जा रहा है। महोदय जी उक्त अपील का अपीलोत्तर बिन्दुवार निम्न प्रकार से है।
>
> 1. श्रीमानजी, श्री दीपक गोयल, निवासी 1 बी 7 सुखाड़िया नगर, नजदीक आदर्श नर्सिंग होम, श्रीगंगानगर इस कार्यालय को आप द्वारा प्राप्ति क्रमांक 3973 दिनांक 20.05.2024 है (पत्र प्रमाणित प्रति संलग्न है)
> 2. श्रीमान् जी पत्रांक निदेशक श्रीमान् अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक आर.टी.आई. / 38 / 2024 / 250—251 दिनांक [illegible] में सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सूकाअ / [illegible]24 / [illegible]21—22 दिनांक 04.06.2024 को भिजवा [illegible] है। (प[illegible] डाक रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न है)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः श्रीमान्‌जी को उपरोक्तानुसार पालना रिपोर्ट समस्त दस्तावेजों सहित प्रेषित करते हुये निवेदन है कि सहानुभूति पूर्वक विचार कर अपील का निस्तारण करने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्अर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2024/12470—71 दिनांक 30.07.2024 से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया था और अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त कर सकता है और सूचना प्राप्त न होने की स्थिति की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.20[illegible] [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:33 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर